दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

आरक्षित : 09 जुलाई, 2024
इस पर उच्चारण किया गया:31 जुलाई, 2024

रि.या.(सि) 9244/2024 और सि.वि.आ. 37877-78/2024

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार व अन्य .....याचिकाकर्ता

द्वारा : सुश्री अवनीश अहलावत, स्थायी अधिवक्ता सह श्री नीतेश कुमार सिंह, सुश्री लावण्या कौशिक, सुश्री अलीज़ा आलम और श्री मोहनीश सहरावत, अधिवक्तागण

बनाम

शशांक सिंह तोमर व अन्य ....प्रत्यर्थीगण

द्वारा : श्री ए.के. बेहरा, वरिष्ठ अधिवक्ता सह श्री अमरेंद्र पी. सिंह, अधिवक्ता

कोरमः
माननीय न्यायमूर्ति श्री सुरेश कुमार कैत
माननीय न्यायमूर्ति श्री गिरीश कठपालिया

<u>निर्णय</u>

<u>न्या. सुरेश कुमार कैत,</u>

1. याचीगण ने मूल आवेदन सं. 1206/2018 में विद्वान केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण ('अधिकरण') द्वारा पारित दिनांक 22.12.2023 के आदेश को चुनौती दी है, जिसमें प्रत्यर्थीगण को, कल्पित आधार पर और

वास्तविक रूप से नियुक्त होने पर वास्तविक आधार पर परिणामी राहत सहित, एक बार की आयु में छूट देकर उनकी सेवाओं को नियमित करने का निर्देश दिया गया है।

2. याचीगण के अनुसार 2008 से 2012 के बीच, प्रत्यर्थीगण को वॉक-इन-इंटरव्यू द्वारा विशुद्ध रूप से संविदा के आधार पर 'कल्याण अधिकारियों' के रूप में नियुक्त किया गया था और संविदा का कोई भी विस्तार रिक्तियों के नियमित आधार पर भरे जाने तक या विस्तार की तारीख तक मान्य होगा। प्रत्यर्थीगण का चयन कभी भी एक नियमित भर्ती प्रक्रिया द्वारा नहीं किया गया था और साक्षात्कार एससी/एसटी/ओबीसी के लिए डी.ओ.पी.टी. द्वारा 24.09.1968 दिनांकित कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से निर्धारित तथा 15.05.2018 दिनांकित कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से 45 दिनों या उससे अधिक समय तक चलने वाली अस्थायी नियुक्ति में आरक्षण के लिए दोहराए गए विस्तार प्रावधानों का पालन किए बिना आयोजित किए गए थे, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रि.या.(सि) सं. 1100/2022 में दिनांकित 03.10.2022 के आदेश द्वारा निर्देश दिया था।

3. संविदा कर्मचारियों का कार्यकाल 30.09.2012 तक था। हालाँकि, मूल आवेदन सं. 3250/2012 में दिनांकित 26.09.2012 के आदेश के अनुसार, उनके रोजगार के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया गया था और वे सेवा में बने रहे।

4. याचीगण ने विज्ञापन संख्या 148/2014 द्वारा दिनांक 28.03.2000 पर अधिसूचित भर्ती नियमों के अनुसार समाज कल्याण विभाग (डीएसडब्ल्यू) और महिला एवं बाल विकास विभाग (डीडब्ल्यूसीडी) में कल्याण अधिकारी के पद के लिए 74 रिक्तियों का विज्ञापन दिया, जिसके तहत भर्ती केवल प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती द्वारा की जा सकती थी और संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण की कोई गुंजाइश नहीं थी।

5. दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल ने यूपीएससी के परामर्श से कल्याण अधिकारी/परिवीक्षा अधिकारी/जेल कल्याण अधिकारी के पद के लिए अधिसूचना नियमों को राजपत्र अधिसूचना (संशोधन) दिनांकित 12.01.2017 के माध्यम से अधिसूचित किया, जिसमें संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण या समावेशन के लिए कोई प्रावधान या खंड नहीं था।

6. प्रत्यर्थीगण द्वारा यथास्थिति आदेश के आधार पर विद्वत अधिकरण के समक्ष विभिन्न आवेदनों को दाखिल किया गाया और प्रत्यर्थीगण की संविदा के आधार पर सेवा जारी रही। इसके अलावा, प्रत्यर्थीगण ने अपने नियमितीकरण की मांग करते हुए 06.02.2017, 28.06.2017 और 18.07.2017 दिनांकित विभिन्न अभ्यावेदन प्रस्तुत किए।

7. विद्वत अधिकरण ने मूल आवेदन सं. 2683/2017 में आदेश दिनांकित 10.08.2017 के माध्यम से याचीगण को प्रत्यर्थीगण द्वारा प्रस्तुत किए गए अभ्यावेदन पर निर्णय लेने का निर्देश दिया। 16.11.2017 दिनांकित आदेश के

माध्यम से, प्रत्यर्थीगण के अभ्यावेदन को समयपूर्व होने के कारण अस्वीकार कर दिया गया था। याचीगण के सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित दिनांक 16.11.2017 के आदेश को अभिखंडित करने की मांग करते हुए प्रत्यर्थीगण ने मूल आवेदन सं. 1206/2018 दाखिल किया और विद्वान अधिकरण ने दिनांक 23.03.2018 के आदेश के माध्यम से याचीगण को यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया।

8. उक्त आवेदन [मूल आवेदन सं. 1206/2018] में, प्रत्यर्थीगण ने सेवा को नियमित करने की मांग करने वाली रि.या.(सि) सं. 6798/2002, जिसका शीर्षक ***सोनिया गांधी व अन्य बनाम रा.रा.क्षे.दि..*** था, में इस न्यायालय के दिनांकित 06.11.2013 के निर्णय पर भरोसा किया। रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार ने कार्यालय ज्ञापन दिनांकित 11.06.2019 और 10.07.2019 के माध्यम से सभी विभागों के संविदा कर्मचारियों को उनके द्वारा काम किए गए वर्षों की संख्या के लिए एक बार की आयु में छूट प्रदान की, जो अधिकतम पांच वर्ष तक थी।

9. फिर से, दिनांक 18.10.2019 पर प्रत्यर्थीगण ने दिनांक 12.01.2017 पर अधिसूचित भर्ती नियमों के अनुसार कल्याण अधिकारियों की 110 रिक्तियों का विज्ञापन जारी किया और सभी संविदा कल्याण अधिकारियों, जिन्होंने आयु सीमा पार कर ली थी, उन्हें आवेदन करने और भर्ती प्रक्रिया में उपस्थित होने के लिए आयु में छूट दी गई। याचीगण के अनुसार, किसी भी

संविदा कल्याण अधिकारी ने न्यूनतम अंक प्राप्त नहीं किए और इसलिए उनका चयन नहीं किया गया।

10. विद्वत अधिकरण ने मूल आवेदन सं. 1206/2018 में दिनांक 22.12.2023 के आदेश के माध्यम से संविदा कर्मचारियों की प्रार्थना को अनुमति प्रदान की और याचीगण को निर्देश दिया कि वे आवेदकों की सेवाओं को नियमित करें और उन्हें एक बार की आयु में छूट प्रदान करें, जैसा कि परिवीक्षा अधिकारियों के मामले में किया गया था।

11. सुनवाई के दौरान, याचीगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि विद्वान अधिकरण ने इस बात पर विचार नहीं किया कि मूल आवेदन सं. 1206/2018 के प्रत्यर्थीगण/आवेदकों ने वर्ष 2014 और 2019 में आयोजित चयन प्रक्रिया में भाग लिया था, लेकिन अर्हता प्राप्त नहीं कर सके और रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा संविदा कर्मचारियों को नियमित करने के लिए कोई नीतिगत निर्णय नहीं लिया गया था, सिवाय इसके कि उन्हें आयु में पांच वर्ष की छूट दी जाए। इस प्रकार, विद्वत अधिकरण द्वारा पारित 12.12.2023 दिनांकित आदेश को विकृत और अवैध होने के कारण रद्द करने की मांग की जाती है।

12. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि रि.या.(सि) 5681/2014 में इस न्यायालय के निर्णय पर दर्शाई गई निर्भरता गलत है क्योंकि उक्त मामला कर्मचारियों के अलग वर्ग से संबंधित है जिनके नियम

और परिस्थितियां का पूरी तरह से भिन्न हैं।

13. विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि प्रत्यर्थीगण ने 2012 के बाद भी मू.आ. सं. 3250/2012 में दिनांक 26.09.2012 पर पारित यथास्थिति आदेश के अनुसरण में संविदा के आधार पर सेवा जारी रखी है, और उन्हें 2014 और 2019 में चयन प्रक्रिया में उपस्थित होने और चयन प्रक्रिया में सफल नहीं होने के बाद अपनी सेवा को नियमित करने की मांग करने का कोई अधिकार नहीं था। इस प्रकार, विद्वत अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांकित 22.12.2023 को अपास्त करने को अभिखंडित करने की मांग की गई है।

14. दूसरी ओर, प्रत्यर्थीगण का रुख यह है कि विद्वत अधिकरण ने दिनांक 22.12.2023 के आक्षेपित निर्णय और आदेश में उचित निर्णय दिया है कि प्रत्यर्थीगण को वर्ष 2007, 2008 और 2010 में स्वीकृत पदों के प्रति कल्याण अधिकारियों के रूप में संविदा के आधार पर भर्ती किया गया था और इस तरह, 13 से 15 वर्षों से अधिक निरंतर संविदा सेवा प्रदान की गई है और वे नियमित कल्याण अधिकारी के समान कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का पालन कर रहे हैं, लेकिन उनसे कम वेतन प्राप्त कर रहे हैं।

15. विद्वत अधिकरण ने यह भी टिप्पणी की है कि महिला एवं बाल विकास विभाग, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार में संविदा के आधार पर नियुक्त संरक्षण अधिकारियों को मू.आ. सं. 2909/2012 में नियमित किया गया है,

जिसे इस न्यायालय ने रि.या.(सि) 5681/2014 में बरकरार रखा है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एस.एल.पी. डायरी सं. 39411/2017 में आदेश दिनांकित 23.03.2018 के माध्यम से भी बरकरार रखा है और इस प्रकार, याचीगण को महिला और बाल विकास विभाग, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार में संविदा संरक्षण अधिकारियों की तरह ही प्रत्यर्थीगण की सेवा को नियमित करने का निर्देश देना उचित है।

16. सुनवाई के दौरान, प्रत्यर्थीगण की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि वर्ष 2023 तक, याचीगण ने संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए कोई नीति तैयार नहीं की है, इस तथ्य के बावजूद कि प्रत्यर्थीगण पहले ही 15 से 17 साल की निर्बाध सेवा प्रदान कर चुकें हैं। ***कर्नाटक राज्य बनाम उमा देवी*** (2006) 4 एस.सी.सी. 1 मामले में निर्णय का आश्रय लिया गया है, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि वे संविदा कर्मचारी, जिन्हें स्वीकृत पदों के प्रति सार्वजनिक विज्ञापन द्वारा नियुक्त किया गया था और जिनकी 10 वर्ष की निरंतर सेवा थी, उन्हें एक बार के उपाय के रूप में नियमित किया जाना चाहिए।

17. विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि महिला एवं बाल विकास विभाग, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार में संरक्षण अधिकारियों के रूप में काम करने वाले संविदा कर्मचारियों की सेवा नियमित करने के बाद रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के उसी विभाग के तहत संविदा कर्मचारियों की सेवा को नियमित करने की

अनुमति नहीं दी जा सकती है क्योंकि प्रत्यर्थीगण को भी संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया था, लेकिन कल्याण अधिकारियों के स्वीकृत पदों के प्रति प्रत्यर्थीगण के मामले के समर्थन में ***विनोद कुमार व अन्य बनाम भारत संघ व अन्य*** 2024 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 1533 के मामले में निर्णय पर भरोसा किया गया था।

18. याचीगण के इस तर्क के संबंध में कि विभिन्न याचिकाओं में पारित न्यायालयों के यथास्थिति आदेश के तहत प्रत्यर्थीगण को सेवा में बने रहने की अनुमति दी गई है, प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि उक्त आदेश में, यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि प्रत्यर्थीगण (की सेवा) को प्रधान सचिव (सेवा) द्वारा जारी किए गए पत्र दिनांकित 16.02.2015 को देखते हुए तब तक जारी रखा गया था जब तक कि रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार नियमितीकरण के बारे में नीतिगत निर्णय नहीं लेती है और इस प्रकार, याचीगण का यह तर्क कि प्रत्यर्थीगण इस न्यायालय के अंतरिम आदेशों के तहत 15 से 17 वर्षों तक सेवा में बने रहे गलत है।

19. अंत में, यह प्रस्तुत किया गया कि याचीगण का अभिवचन कि प्रत्यर्थीगण को सीधी भर्ती द्वारा चयन प्रक्रिया में उपस्थित होने का अवसर दिया गया है, लेकिन वे असफल रहे हैं, कहीं भी उनकी लंबी निरंतर सेवा को क्षीण नहीं करता है। अंत में, यह प्रस्तुत किया गया कि वर्तमान याचिका में गुणागुण की कमी है और इसे खारिज किया जाना चाहिए।

20. पक्षकारगण के विद्वान अधिवक्तागण की प्रस्तुतियों को विस्तार से सुना गया तथा अभिलेख पर रखी गई सामग्री का सावधानी से अवलोकन किया गया।

21. याचीगण ने किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए कल्याण अधिकारी/परिवीक्षा अधिकारी के पद की रचना की थी। प्रत्यर्थीगण को वर्ष 2008-2012 के दौरान संविदा के आधार पर कल्याण अधिकारियों/परिवीक्षा अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया गया था और उनका कार्यकाल दिनांक 30.09.2012 तक था। हांलाकि, कुछ कल्याण अधिकारियों द्वारा एक आवेदन अर्थात मू.आ. सं. 3250/2012 दाखिल किया गया था, जिसमें कल्याण अधिकारियों के रोजगार के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश देते हुए एक आदेश दिनांकित 26.09.2012 पारित किया गया था तथा वे अभी भी सेवा में बने हुए हैं।

22. प्रत्यर्थीगण ने विद्वान अधिकरण के समक्ष उनकी सेवा को नियमित करने की मांग करते हुए मू.आ. सं. 2683/2013 दाखिल किया था, जिसका निपटान दिनांक 10.08.2017 के आदेश के माध्यम से याचीगण के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता के साथ किया गया था।

23. प्रत्यर्थीगण द्वारा प्रस्तुत किए गए अभ्यावेदनों को याचीगण द्वारा 16.11.2017 दिनांकित आदेश के माध्यम से अस्वीकार कर दिया गया था, जो निम्नानुसार है :-

"महिला एवं बाल विकास विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, 1, पं. रावी शंकर शुक्ला लेन, के.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110001

सं. एफ. 32 (26)/ओ.ए. 100/2683/2017सीएटी/लिट./डी.डब्ल्यू.सी. डी./2017/37376

तिथि :- 16.11.2017

<u>आदेश</u>

कि वर्तमान आदेश मू.आ. सं. 2683/2017 और वि.आ. सं. 2822/2017 में माननीय केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के दिनांक 18.08.2017 के निर्देशों के अनुपालन में पारित किया जा रहा है। आदेश के प्रवर्ती भाग को निम्नलिखित रूप में पुनः प्रस्तुत किया गया है :-

"इन परिस्थितियों में, प्रत्यर्थी को संलग्नक ए/1 एस (कोली) मू.आ. में दाखिल अभिकथनों और दस्तावेजों को ध्यान में रखते हुए, आवेदकों के अभ्यावेदनपर विचार करने और इस आदेश की एक प्रति प्राप्त होने की तिथि से 90 दिनों के भीतर, विधि के अनुसार, उस पर कारण युक्त और तर्कपूर्ण उचित आदेश पारित करने का निर्देश देकर, मामले के गुणागुण में जाए बिना, मू.आ. का निपटान स्वीकृति के चरण पर किया जाता है। ।तब तक, प्रत्यर्थी आवेदकों के संबंध में यथास्थिति बनाए रखेंगे। जुर्माने के विषय में कोई आदेश नहीं।"

वर्तमान में संविदा कल्याण अधिकारियों के रूप में काम कर रहे आवेदकों ने निम्नलिखित राहत की मांग की हैः-

1. कल्याण अधिकारियों के पद पर आवेदकों को नियमित करने के लिए एक नीति तैयार करना और

2. कल्याण अधिकारियों के पद पर आवेदकों के समावेशन के लिए भर्ती नियमों में उचित प्रावधान करना, जैसा कि किरण शर्मा बनाम रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार व अन्य के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेशों के

तहत परिवीक्षा अधिकारियों के मामले रि.या.(सि) 5681/2014 में प्रत्यर्थीगण द्वारा किया गया था।

कल्याण अधिकारियों के पद पर आवेदकों को नियमित करने के संबंध में यह कहा गया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अपने विभिन्न विभागों में नियुक्त विभिन्न श्रेणियों के संविदा कर्मचारियों के संबंध में नीति बनाने की प्रक्रिया में है।

कल्याण अधिकारियों के पद पर आवेदकों के समावेशन के लिए भर्ती नियमों में उपयुक्त प्रावधान के संबंध में, जैसा कि दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के तहत सुरक्षा अधिकारियों के मामले में प्रत्यर्थीगण द्वारा किया गया था, यह कहा गया है कि सुरक्षा अधिकारियों को "घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005" के कार्यान्वयन के लिए और पीडब्ल्यूडीवी अधिनियम, 2005 के तहत स्थापित न्यायालयों में संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति की वैधानिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए नियुक्त किया गया था, विभाग ने कल्याण अधिकारियों के रिक्त पदों के प्रति निर्धारित पारिश्रमिक पर संविदा के आधार पर सुरक्षा अधिकारी के रूप में आवेदकों की सेवाओं को नियुक्त किया है।

आवेदकों को संविदा के आधार पर मौजूदा भर्ती नियमों के प्रति नियुक्त किया गया था, यह पूरी तरह से जानते हुए कि कल्याण अधिकारियों के पदों को नियमित नियुक्ति पर भरे जाने की स्थिति में उनकी संविदा समाप्त की जा सकती है।

आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि "किरण शर्मा बनाम रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार का मामला अभी तक अंतिम रूप नहीं ले पाया है क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय के फैसले को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती देने की प्रक्रिया चल रही है। इस प्रकार इस संबंध में आवेदकों की प्रस्तुति समय-पूर्व है जो अस्वीकार किए जाने योग्य है।"

24. प्रत्यर्थीगण द्वारा पारित दिनांक 16.11.2017 के आदेश से उनके अभ्यावेदन की अस्वीकृति के विरुद्ध प्रत्यर्थीगण द्वारा दाखिल किए गए मू.आ. सं. 1206/2018 में, विद्वत अधिकरण ने, दिनांक 22.12.2023 के आक्षेपित आदेश में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया :-

> *"6.1 संविदा नियुक्तियाँ नियमित विज्ञापन प्रक्रिया के माध्यम से की गई थीं, जिसका अर्थ है कि ये नियमों के बाहर अव्यवस्थित तरीके से या कुछ असंगत विचार के लिए नहीं की गई हैं। इसलिए उनकी नियुक्ति अवैध नहीं है।*
>
> *6.2 आवेदकों को स्वीकृत रिक्तियों के प्रति नियमित चयन प्रक्रिया में भाग लेने का मौका दिए बिना दस साल से अधिक समय तक स्वेच्छा से और लगातार और निर्बाध रूप से काम करने की अनुमति दी गई है।*
>
> *6.3 दस साल से अधिक समय तक लगातार संविदा पर रखे जाना न केवल प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का घोर उल्लंघन है, बल्कि संविदा श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 की भावना के विपरीत है और इसमें नहीं पाया जाता है।*
>
> *6.4 आवेदक लंबे समय तक कल्याण अधिकारी के रूप में मूल्यवान अनुभव प्राप्त कर स्वीकृत पद के प्रति काम कर रहे हैं।*
>
> *6.5 सी.सी.एस. (छुट्टी) नियम लागू किए गए हैं। प्रारंभिक नियुक्ति में भत्तों के अनुदान में अंतर्निहित मुख्य विशेषताएं हैं।*
>
> *6.6 निर्धारित और अन्य आवश्यक योग्यताएँ उसी के समान*

हैं जो बिना किसी भेदभाव के या अन्यथा आर.आर. के तहत निर्धारित की गई हैं।

6.7 आयु को छोड़कर सभी आवेदकों के पास आर.आर. के अनुसार आवश्यक योग्यता हैं।

6.8 मुख्यमंत्री ने नियमितीकरण प्रक्रिया को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी थी, जो साफ और स्पष्ट है।

6.9 इसी तरह की स्थित में "संरक्षण अधिकारियों" को नियमित करने का लाभ दिया गया था, सरकार ने उनकी सेवाओं को नियमित कर दिया था।

*6.10 उल्लेखनीय है कि उमा **देवी के** निर्णय में पैरा 44 **और** 53 के संदर्भ में, आवेदक एक बार के प्रयोग के रूप में नियमितीकरण के लिए विचार किए जाने का अपना अधिकार नहीं खोता है।*

*6.11 **उमा देवी के** निर्णय के साथ-साथ दिनांक 03.08.2010 पर निर्णीत **कर्नाटक राज्य बनाम एम. एल. केसरी** के बावजूद, आवेदक(कों) को दस साल से अधिक समय तक स्वेच्छा से और लगातार और निर्बाध रूप से काम करने की अनुमति दी गई।"*

25. याचिकाकर्ता मू.आ. सं. 1206/2018 में विद्वत अधिकरण द्वारा पारित दिनांक 22.12.2023 के आदेश से व्यथित हैं, जिसके तहत प्रत्यर्थीगण की सेवाओं को नियमित किया गया है, जो 2008-2012 वर्षों के दौरान संविदा के आधार पर कल्याण अधिकारियों/परिवीक्षा अधिकारियों के रूप में कार्यरत थे।

26. उल्लेखनीय है कि विद्वत अधिकरण ने ***उमा देवी (पूर्वोक्त)*** मामले में निर्णय पर भरोसा किया है, जिसमें निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया है:-

"53. एक पहलू को स्पष्ट करने की आवश्यकता है। ऐसे मामले हो सकते हैं, जहाँ विधिवत स्वीकृत रिक्त पदों में विधिवत योग्य व्यक्तियों की अनियमित नियुक्तियाँ (अवैध नियुक्तियाँ नहीं) की गईं होंगी, जैसा कि एस. वी. नारायणप्पा [(1967) 1 एस.सी.आर. 128 : ए.आई.आर. 1967 एस.सी. 1071], आर. एन. नंजुंडप्पा [(1972) 1 एस.सी.सी. 409 : (1972) 2 एस.सी.आर. 799] और बी. एन. नागराजन [(1979) 4 एस.सी.सी. 507 : 1980 एस.सी.सी. (एल. एंड एस.) 4 : (1979) 3 एस.सी.आर. 937] में समझाया गया है और उपरोक्त पैरा 15 में संदर्भित है, और कर्मचारियों ने दस साल या उससे अधिक समय तक काम करना जारी रखा होगा, लेकिन अदालतों या न्यायालय के आदेशों के हस्तक्षेप के बिना। ऐसे कर्मचारियों की सेवाओं के नियमितीकरण के प्रश्न पर उपरोक्त संदर्भित मामलों में इस न्यायालय द्वारा तय किए गए सिद्धांतों के आलोक में और इस निर्णय के आलोक में गुण-दोष के आधार पर विचार किया जा सकता है। उस संदर्भ में, भारत संघ, राज्य सरकारों और उनकी संस्थाओं को एक बार के उपाय के रूप में ऐसे अनियमित रूप से नियुक्त लोगों की सेवाओं को नियमित करने के लिए कदम उठाने चाहिए, जिन्होंने विधिवत स्वीकृत पदों में दस साल या उससे अधिक समय तक काम किया है, लेकिन न्यायालयों या अधिकरणों के आदेशों की आड़ में नहीं और आगे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उन खाली स्वीकृत पदों को भरने के लिए नियमित भर्ती की जाए, जिन्हें भरने की आवश्यकता है, ऐसे मामलों में जहां अस्थायी कर्मचारियों या दैनिक वेतनभोगियों को अब नियुक्त किया जा रहा है। इस तिथि से छह महीने के भीतर प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए। हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि नियमितीकरण, यदि पहले

से ही किया गया है, लेकिन विचाराधीन नहीं है, तो इस निर्णय के आधार पर फिर से उसे खोलने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसके आगे संवैधानिक आवश्यकता को दरकिनार नहीं किया जाना चाहिए और संवैधानिक योजना के अनुसार विधिवत नियुक्त नहीं किए गए लोगों को नियमित या स्थायी नहीं बनाया जाना चाहिए।"

(जोर दिया गया)

27. वर्तमान मामले में याचीगण को किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 के प्रशासन के लिए वर्ष 2008, 2009 और 2010 में महिला एवं बाल विकास विभाग, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार में कल्याण अधिकारियों के रूप में संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया था। याचीगण ने इस बात पर विवाद नहीं किया है कि ये संविदा नियुक्तियां संविदा के तहत छह महीने की प्रारंभिक अवधि के लिए नियमित, स्वीकृत और खाली पदों के लिए की गई थीं, लेकिन उनकी संविदा समय के साथ पुनः प्रवर्तित रही।

28. इस न्यायालय का ध्यान मू.आ. सं. 2050/2014 में के आदेश दिनांकित 21.04.2015 की एक प्रति की ओर आकर्षित किया गया था, जिसमें रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के विद्वान अधिवक्ता के बयान पर, विद्वान अधिकरण द्वारा यह टिप्पणी की गई है कि परिपत्र सं. एफ.19 (1)/2014/एस-IV/223-224 दिनांकित 16.02.2015 के द्वारा रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के तहत विभिन्न विभागों और संगठनों में लगे संविदा कर्मचारियों की स्थिति के बारे में नीति की समीक्षा की जा रही है और संभवतः संविदा

कर्मचारियों की सेवाओं को समाप्त नहीं किया जाएगा।

29. इस न्यायालय के समक्ष याचीगण ने दलील दी है कि पूर्व-उल्लिखित परिपत्र दिनांकित 16.02.2015 को आदेश सं. एफ.19(11)/2015/एस.आई.वी./1890-96 दिनांकित 19.10.2015 के द्वारा रद्द कर दिया गया था। लेकिन तथ्य यह है कि प्रत्यर्थीगण के अभ्यावेदनों को अस्वीकार करते हुए, याचीगण ने दिनांक 16.11.2017 के आदेश के माध्यम से यह भी उल्लेख किया था कि *कल्याण अधिकारियों के पद पर आवेदकों को नियमित करने के लिए नीति* बनाने के प्रयास विचाराधीन थे। इसलिए, याचीगण के उस रुख को स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि परिपत्र दिनांकित 16.02.2015 रद्द किया गया था। ध्यान देने योग्य बात यह है कि आज तक, याचीगण द्वारा संविदा कल्याण अधिकारी को नियमित करने के लिए कोई नीति तैयार नहीं की गई है।

30. माननीय उच्चतम न्यायालय ने ***कर्नाटक राज्य और अन्य बनाम एम. एल. केसरी और अन्य*** (2010 (9) एस.सी.सी. 247) में अपने 03.08.2010 दिनांकित निर्णय में निम्नलिखित रूप से टिप्पणी की और अभिनिर्धारित किया :-

> *"6. 'एकमुश्त उपाय' शब्द को उसके उचित परिप्रेक्ष्य में समझना होगा। आम तौर पर इसका मतलब यह होगा कि उमादेवी में निर्णय के बाद, प्रत्येक विभाग या प्रत्येक संस्था को एक बार की कवायद शुरू करनी चाहिए और उन सभी*

अनियत, दैनिक वेतन या एड-हॉक कर्मचारियों की एक सूची तैयार करनी चाहिए जो न्यायालयों और अधिकरणों के हस्तक्षेप के बिना दस साल से अधिक समय से काम कर रहे हैं और उन्हें एक सत्यापन प्रक्रिया से गुजारना चाहिए कि क्या वे रिक्त पदों के प्रति काम कर रहे हैं और क्या पद हेतु अपेक्षित योग्यता रखते हैं और यदि ऐसा है, तो उनकी सेवाओं को नियमित किया जाए।"

31. हमारी सुविचारित राय में, विद्वत अधिकरण ने ठीक ही कहा है कि ***उमा देवी (सुप्रा)*** मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 10.04.2006 के निर्णय और ***कर्नाटक राज्य बनाम एम.एल. केसरी*** मामले में दिनांक 03.08.2010 के निर्णय के बावजूद, आवेदक(कों) को दस वर्ष से अधिक समय तक स्वेच्छा से और लगातार और निर्बाध रूप से काम करने की अनुमति दी गई थी। इसके अलावा, याचीगण ने विज्ञापन संख्या 148/2014 के माध्यम से समाज कल्याण विभाग (डीएसडब्ल्यू) और महिला एवं बाल विकास विभाग (डीडब्ल्यूसीडी) में कल्याण अधिकारी के पद के लिए 74 रिक्तियों का विज्ञापन दिया और फिर से विज्ञापन संख्या 14/2019 दिनांकित 18.10.2019 के माध्यम से कल्याण अधिकारियों की 110 रिक्तियों का विज्ञापन दिया। इसलिए***, उमा देवी*** और ***कर्नाटक राज्य (पूर्वोक्त)*** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों के परिणामस्वरूप, भले ही कल्याण अधिकारी के पद के लिए नियमित रिक्तियां थीं, लेकिन याचीगण ने उन्हें परीक्षा में बैठने के लिए केवल एक बार की आयु में छूट देने का फैसला किया, लेकिन आवश्यक योग्यता और विशाल अनुभव होने के बावजूद उन्हें नियमित

नियुक्ति के लिए विचार नहीं करने का फैसला किया।

32. माननीय उच्चतम न्यायालय ने ***विनोद कुमार व अन्य आदि बनाम भारत संघ और अन्य*** 2024 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 1533 में अपने निर्णय दिनांकित 30.01.2024 में अभिनिर्धारित किया है *कि रोजगार का सार और उसके अधिकार केवल नियुक्ति की प्रारंभिक शर्तों से निर्धारित नहीं किए जा सकते हैं जब समय के साथ रोजगार का वास्तविक अवधि काफी विस्तृत हुई है। नियमित कर्मचारियों की क्षमताओं में अपीलार्थियों की निरंतर सेवा, स्थायी पदों पर कार्यरत लोगों से अप्रभेद्य कर्तव्यों का पालन करना और एक ऐसी प्रक्रिया द्वारा उनका चयन जो नियमित भर्ती को दर्शाता है,* यह उनकी प्रारंभिक नियुक्ति की अस्थायी और योजना-विशिष्ट प्रकृति से एक ठोस विचलन का गठन करता है।

33. अन्यथा भी, महिला एवं बाल विकास विभाग, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार में संविदा के आधार पर नियुक्त संरक्षण अधिकारियों की सेवाओं को मू.आ. सं. 2909/2012 में विद्वान अधिकरण द्वारा पारित दिनांक 28.01.2014 के आदेश के माध्यम से नियमित किया गया है, जिसे इस न्यायालय द्वारा रि.या.(सि) 5681/2014 में बरकरार रखा गया था और याचीगण (भारत संघ) द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका [एस.एल.पी. डायरी संख्या 39411/2017] को भी दिनांक 23.03.2018 के आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया था; और इनके मामले पर प्रत्यर्थीगण ने भरोसा किया है। हमारी सुविचारित

राय में, प्रत्यर्थीगण का मामला सुरक्षा अधिकारियों से कम नहीं है, जिनकी सेवाओं को नियमित किया गया है।

34. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, इस याचिका को याचीगण को चार सप्ताह के भीतर आक्षेपित निर्णय दिनांकित 22.12.2023 के पैरा-7 में उल्लिखित शर्तों में, प्रत्यर्थीगण को एक बार की छूट प्रदान कर, जैसा की संरक्षण अधिकारियों के मामले में किया गया है, प्रत्यर्थीगण की सेवाओं को नियमित कर वर्तमान मामले में पूर्वोक्त नीतिगत निर्णय को लागू करने के निर्देश के साथ खारिज किया जाता है। यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रत्यर्थीगण की वरिष्ठता की गणना नियमित आधार पर नियुक्ति की पेशकश की जाने की तारीख और उनकी परस्पर वरिष्ठता से की जाएगी।

(सुरेश कुमार कैत)
न्यायाधीश

(गिरीश कठपालिया)
न्यायाधीश

31 जुलाई, 2024/आर

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*